



Neutral Citation Number- 2026:AHC:32151

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट-सी संख्या - 5777/2026

पुल्लू

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 8 अन्य

.....प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता

: राजीव कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्याय कक्ष संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा की गई एकमात्र प्रार्थना यह है कि प्रत्यर्थी संख्या-2, अर्थात् अपर आयुक्त (न्यायिक), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को यह निर्देश दिया जाए कि वे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-207 के तहत अपील संख्या सी-202515000000910 (पुल्लू बनाम मोती लाल और अन्य) का विनिश्चय निर्धारित समय-सीमा के भीतर करें।

2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी संख्या-1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता, और साथ ही प्रत्यर्थी संख्या-9 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ला की दलीलें सुनीं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

4. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और इस मुद्दे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस रिट याचिका का **अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है**। इसमें प्रत्यर्थी संख्या-2, यानी अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को यह निर्देश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त अपील पर निर्णय लें; यह निर्णय पूरी तरह से कानून के अनुसार, शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से **दस महीने** की अवधि के भीतर लिया जाए। यह निर्णय संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ही लिया जाए, बशर्ते कि इसमें कोई कानूनी बाधा न हो।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

12 फरवरी, 2026

स्वाति

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”